आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-107/2013

चिन्ता देवी

बनाम्

माला देवी एवं अन्य

24.11.2023

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 17787/2014 माला देवी उर्फ माला कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 02.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नलिखित हैः-

".....this Court has no option but to quash the said order dated 13.02.2014 and remand the matter back to the learned Commissioner, Saran Division at Chapra, fixing 24 th of August, 2023 as the date of hearing, on which date all the parties shall appear before the learned Commissioner, Saran Division at Chapra at 10.30 a.m., failing which, the learned Commissioner shall be at liberty to pass ex-parte orders. It is expected that appropriate decision shall be taken within a period of four weeks, thereafter in accordance with law, by passing a reasoned and a speaking order."

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि आँगनबाड़ी केन्द्र आलापुर केन्द्र सं0-38 के सेविका पद हेतु दिनांक 12.07.2004 को आयोजित आमसभा में चिन्ता देवी, पति-ब्रज किशोर मांझी का चयन किया गया, तदनुसार उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया।

2. उक्त चयन के विरूद्ध एक अभ्यर्थी माला देवी पति-अरविन्द कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 15886/2005 दायर करते हुए चिन्ता देवी के चयन को चुनौती दी गयी। वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 24.09.2007 को पारित आदेश में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को मार्गदर्शिका के आलोक में वाद का निष्पादन किए जाने का आदेश पारित किया गया।

3. उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उक्त मामलें में चयन के बिन्दु पर जाँच हेतु एक जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा मामलें के जॉचोपरांत अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात, जिला पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं0-05/11 दर्ज करते हुए मामलें की सुनवाई प्रारंभ की गयी तथा उभय पक्ष को सुनते हुए दिनांक 24.06.2011 को आदेश पारित किया गया, जिसमें चिन्ता देवी के चयन को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध दो अलग-अलग वाद, C.W.J.C. No. 16073/2011, चिन्ता देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा C.W.J.C. No. 23164/2011, माला देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दायर किया गया। C.W.J.C.

No. 16073/2011 एवं C.W.J.C. No. 2316/2011 की दिनांक 15.05.2012 को सुनवाई के पश्चात आँगनबाड़ी वाद सं0-5/11 में जिला पदाधिकारी के आदेश दिनांक 24.06.2011 को निरस्त करते हुए दोनों मामला जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को वापस किया गया तथा मामलें की पुनः सुनवाई करने का आदेश पारित किया गया।

4. उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मामलें की पुनः सुनवाई की गयी। उनके द्वारा दिनांक 12.10.2012 को पारित आदेश में यह अंकित किया गया कि चिन्ता देवी का चयन नियम विरूद्ध है। उक्त आदेश के विरूद्ध चिन्ता देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 3923/2013 दायर किया गया जिसमें दिनांक 01.03.2013 को पारित आदेश में वाद को प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष रखे जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

5. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. No. 3923/2013 में दिनांक 01.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में आयुक्त न्यायालय के समक्ष ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं0-107/2013 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 13.02.2014 को पारित आदेश में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश दिनांक 12.10.2012 को निरस्त किया गया तथा चिन्ता देवी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया।

6. ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं0-107/2013 में दिनांक 13.02.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध माला देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 17787/2014 दायर किया गया। उक्त की सुनवाई के पश्चात दिनांक 02.08.2023 को पारित आदेश में आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के आदेश दिनांक 13.02.2014 को निरस्त करते हुए वाद की पुनः सुनवाई का आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में प्रस्तुत वाद की सुनवाई इस स्तर पर की गयी हैं।

चिन्ता देवी के विद्वान अधिवक्ता एवं माला देवी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना। D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज द्वारा उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखा गया है।

7. चिन्ता देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्र सं0-38, ग्राम-आलापुर, पंचायत-सिपाहखास, प्रखंड-मांझागढ़, जिला-गोपालगंज में ऑगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हेतु दिनांक 12.07.2004 को आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका में अंकित अर्हताओं को पूर्ण करने के आधार पर सेविका पद हेतु चिन्ता देवी का चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध माला देवी, पति-अरविन्द कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No. 15886/2005, दायर किया गया।

जिसके सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.09.2007 के अनुपालन में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मामलें की सुनवाई प्रारंभ की गयी। सुनवाई के क्रम में जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-80, दिनांक 16.01.2008 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज, जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मांझा, जिला-गोपालगंज की जाँच समिति द्वारा मामलें की जाँच करते हुए पत्रांक-144/गो0, दिनांक 24.01.2008 द्वारा जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन सौपा गया। जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका पद पर चयन हेतु कुल तीन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए है:-

(i) चिन्ता देवी, पति-वृज किशोर मांझी

(ii) माला देवी, पति-अरविन्द कुमार

(iii) शशि पाण्डेय, पति-श्री रामदेय तिवारी

जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि, *".....संबंधित कार्यवाही पंजी के प्रस्ताव सं0-02 में यह अंकित है कि शशि पाण्डेय, ब्राह्मण जाति से आती है तथा गरीबी रेखा में इनका नाम नहीं है। दूसरा माला देवी पति-अरविन्द कुमार पिछड़ी जाति से आती है। इनका बी0पी0एल0 नं0 स्पष्ट नहीं है और ग्रामीणों द्वारा जाँच के दौरान बताया गया कि इनका पक्का का मकान है और लगभग छः एकड़ जमीन है और ये गरीबी रेखा के अन्तर्गत नहीं आती है। तीसरी आवेदिका श्रीमती चिन्ता देवी अनुसूचित जाति की है और इनका बी0पी0एल0 नं0-6495 है जो आवेदिका के चचेरा श्वसुर के नाम से है। आवेदिका गरीब है और गरीबी रेखा के अन्तर्गत आती है। इसलिए आमसभा में सर्वसम्मति से श्रीमती चिन्ता देवी, पति-वृज किशोर मांझी का चयन किया गया। कार्यवाही पंजी के वर्णित प्रस्ताव के निष्कर्ष में अंकित है कि "श्रीमती चिन्ता देवी के पति बृज किशोर मांझी ग्राम-आलापुर केन्द्र के लिए सेविका के पद पर चयनित किया जाता है, इसलिए यह पिछड़ा केन्द्र है, लेकिन पिछड़ा वर्ग से कोई गरीबी रेखा के अन्तर्गत उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए सरकारी आदेशानुसार इसके बाद अनुसूचित जाति को प्राथमिकता देना है। अनुसूचित जाति का उम्मीदवार गरीबी रेखा के अन्तर्गत मिल गया इसे आम सभा से चयनित किया गया।"* इसके साथ ही जाँच समिति के सदस्यों द्वारा जाँच के क्रम में क्र0सं0 01 पर अंकित अभ्यर्थी चिन्ता देवी के संबंध में मंतव्य दिया गया है कि *".....वर्णित ग्राम आलापुर के लिए आँगनबाड़ी सेविका के पद पर श्रीमती चिन्ता देवी, पति-वृज किशोर मांझी का चयन सही प्रतीत होता है।....."*

परंतु उक्त प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

8. उक्त बातों के अलावा चिन्ता देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी माला देवी, पति-अरविन्द कुमार आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-38, ग्राम-आलापुर के वर्ग बहुलता में नहीं आती है और न ही उनका नाम बी0पी0एल0 सूची में आता है। माला देवी के पास छः बीघा जमीन, चार किता छतदार मकान, 04, चार पहिया गाड़ी तथा अपना व्यवसाय है। इसके अलावे माला देवी के पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध मांझागढ़ थाना में 247/23 में हत्याकांड का मामला

दर्ज है। ऐसे में माला देवी प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका पद पर चयन हेतु योग्यता नहीं रखती है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-107/2013 में आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा द्वारा दिनांक 13.02.2014 को पारित आदेश न्यायोचित है जिसे यथावत रखा जाए।

9. माला देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए दावा किया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-38, ग्राम-आलापुर, प्रखंड-मांझागढ़, जिला-गोपालगंज में सेविका पद पर चयन हेतु दिनांक 12.07.2004 को आयोजित आमसभा में तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर चिन्ता देवी का चयन सेविका पद हेतु किया गया था। उनके द्वारा बताया गया प्रश्नगत केन्द्र पिछड़ा वर्ग बहुलता का था, जबकि चिन्ता देवी-पति-ब्रज किशोर मांझी अनुसूचित जाति से है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि पूर्व में साफापुर पंचायत में 7 गाँव शामिल थे जिसमें प्रश्नगत ग्राम-आलापुर भी था। वर्ष 2001 में पंचायत सफापुर का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप ग्राम-आलापुर अब पंचायत-सिपाहखास में शामिल हो गया। परंतु साफापुर पंचायत के लिए वर्ष 1998 में तैयार की गयी बी0पी0एल0 सूची में वर्ष 2004 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके कारण प्रश्नगत चयन के समय भी साफापुर पंचायत के लिए वर्ष 1998 में तैयार की गयी बी0पी0एल0 सूची ही प्रभावी रही है। परंतु उक्त सूची में चिन्ता देवी एवं उनके पति-ब्रज किशोर मांझी का नाम कही भी अंकित नहीं है। चिन्ता देवी द्वारा उक्त बी0पी0एल0 सूची में क्र0 सं0 6515 पर अंकित रामधनी मांझी को फर्जी रूप से अपने चचेरे ससुर के रूप में दिखाया गया था, जिसकी सूचना होने पर रामधनी मांझी द्वारा C.J.M. गोपालगंज के समक्ष इस आशय का Complaint case No. 1565/2004 दर्ज कराया गया था कि चिन्ता देवी के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अपने उपर Complaint case दर्ज कराए जाने की जानकारी होने पर चिन्ता देवी द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए बी0पी0एल0 सूची के क्र0 सं0-6495 पर अंकित बैजनाथ मांझी को अपने चचरे ससुर के रूप में दर्शाया गया। जिसकी जानकारी होने पर बैजनाथ मांझी की पत्नी चन्द्रावती देवी द्वारा इस आशय का Complaint case No. 144/08 समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष दर्ज कराया गया कि चिन्ता देवी से उनका कोई संबंध नहीं है।

10. माला देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि तत्कालीन प्रभावी बी0पी0एल0 सूची के क्र0स0-13391 पर माला देवी के पति श्री अरविन्द कुमार, पिता-मुखदेव प्रसाद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है परंतु उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए त्रुटिपूर्ण ढंग से चिन्ता देवी का चयन कर लिया गया है। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि चूँकि प्रश्नगत केन्द्र पिछड़ा वर्ग हेतु है, माला देवी पिछड़ा वर्ग से है तथा प्रश्नगत केन्द्र हेतु प्रभावी बी0पी0एल0 सूची में उनके पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित

है ऐसी स्थिति में माला देवी प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका पद पर चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखती है।

उक्त के आधार पर माला देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिलाधिकारी द्वारा वाद सं0-05/2011 में दिनांक 12.10.2012 को पारित आदेश को यथावत रखा जाए तथा माला देवी का चयन तत्समय प्रभावी नियमानुसार प्रश्नगत केन्द्र पर करने हेतु आदेशित किया जाए।

11. D.P.O. (I.C.D.S.) गोपालगंज, C.D.P.O. मांझा, गोपालगंज द्वारा सुनवाई में उपस्थित होकर सरकार पक्ष रखा गया। D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज के पत्रांक-1639/जि0प्रो0शा0, दिनांक 09.09.2023 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि,

(i) प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर चयन हेतु तैयार मैपिंग पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन मुखिया, ग्राम पंचायत राज सिपाहखास के द्वारा जमा किए गए अभिलेखों में मैपिंग पंजी का उल्लेख नहीं है। **लेकिन कार्यवाही पंजी के कंडिका-05 में उल्लेखित है कि तत्समय उक्त केन्द्र की वर्ग बहुलता पिछड़ी जाति की है।**

(ii) अभिलेख में संलग्न गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की सूची (वर्ष 1998 से 2002 तक ग्राम पंचायत साफापुर, ग्राम-साफापुर लोहखरा) के **क्रमांक-13391 पर अरविन्द कुमार पिता-मुखदेव प्रसाद का नाम अंकित है।**

(iii) .....तत्समय माला देवी जिनका बी0पी0एल0 नंबर 13391 है स्पष्ट नहीं होने के कारण चयन पर विचार नहीं किया गया। लेकिन माला देवी द्वारा दिनांक 02.08.2004 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझा को संबोधित पत्र पर पंचायत सचिव दिनांक 10.08.2004 को प्रतिवेदित किया गया कि *"आवेदिका माला देवी पति-अरविन्द कुमार, ग्राम-आलापुर के निवासी तथा वर्ष 1998-2002 के सर्वेक्षण सूची में क्रमांक-13391 में अंकित इनके पति अरविन्द कुमार, पिता-मुखदेव प्रसाद, ग्राम-साफापुर लोहखरा में अंकित है। स्थानीय जाँच के द्वारा पता चला कि अरविन्द कुमार पिता-मुखदेव प्रसाद नाम के व्यक्ति ग्राम साफापुर लोहखरा में नहीं है। ये ग्राम-आलापुर के निवासी है जो वर्तमान ग्राम पंचायत राज-सिपाहखास में है"*

12. उक्त के अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मांझा, गोपालगंज के ज्ञापांक-467, दिनांक 23.09.2023 द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि,

" श्रीमती चिन्तादेवी, पति-बज्र किशोर मांझी, ग्राम-आलापुर, पो0-मांझा की निवासी है और चचरे ससुर बैजनाथ मांझी पिता-स्व0 रामऔतार मांझी, ग्राम-आलापुर, पो0-मांझा थाना-मांझागंढ, जिला-गोपालगंज का बी0पी0एल0 नं0-6495 पर अंकित है।" अभिलेख में संलग्न बी0पी0एल0 सूची जो ग्राम पंचायत अहिरौलिया ग्राम-अहिरौलिया/आलापुर में वैजनाथ मांझी का नाम दर्ज हैं। इस संबंध में तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका सरस्वती पाण्डेय ने इसकी जाँच कर दिनांक 25.07.2008 को प्रतिवेदित किया है कि *"सेविका चिन्ता देवी, पति-ब्रज किशोर मांझी के बी0पी0एल0 के जाँच के क्रम में प्रत्यक्षदर्शियों एवं ग्रामीण लोगों से व्यक्तिगत संपर्क*

करने एवं वार्ड सदस्य माला देवी के द्वारा बताया गया कि चयनित सेविका श्रीमती चिन्ता देवी पति-बज्र किशोर मांझी द्वारा चयन के समय दी गई बी0पी0एल सूची इनका नहीं है। 6495 बी0पी0एल0 बैजनाथ मांझी पिता-स्व0 रामावतार मांझी का है जो उनके परिवार के अन्तर्गत नही आते है वे काफी लम्बे समय से अलग है तथा इनका सर्वेक्षण में गृह संख्या-79 एवं वार्ड सं0-08 तथा चिन्ता देवी पति-ब्रजकिशोर मांझी का सर्वेक्षण में गृह संख्या-63 एवं वार्ड सं0-07 हैं।'

13. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उभय पक्ष को विस्तारपूर्वक सुनने, D.P.O. (I.C.D.S.) द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते है;

(i) प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र आलापुर केन्द्र सं0-38 पर तत्समय पिछड़ा जाति की वर्ग बहुलता रही है।

(ii) अभिलेख पर उपलब्ध गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले की सूची (वर्ष 1998 से 2002) जो वर्ष 2004 के प्रश्नगत चयन हेतु प्रभावी रही है, में ग्राम पंचायत-साफापुर, ग्राम-साफापुर लोहरवरा के **क्रमांक-13391 पर श्रीमती माला देवी के पति-अरविन्द कुमार, पिता-मुखदेव प्रसाद का नाम अंकित पाया गया है।**

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा गठित समिति द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों को अपने जाँच प्रतिवेदन में समुचित ढंग से विचार नहीं किया जा सका है। उक्त समिति का उद्देश्य केवल इस बात का पता लगाना था कि क्या श्रीमती माला देवी/उनके परिजन का नाम तत्कालीन बी0पी0एल0 सूची में था अथवा नहीं। श्रीमती माला देवी अथवा उनके परिजन बी0पी0एल0 सूची के अन्तर्गत आने की अर्हता रखते है अथवा नहीं इस बिन्दु पर विचार करना उक्त समिति के वैधानिक क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय-वस्तु रहा है। यह एक स्थापित तथ्य है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम बी0पी0एल0 सूची में अंकित पाया जाता है तो वह व्यक्ति उक्त बी0पी0एल0 सूची का वैधानिक सदस्य होता है। अतः प्रस्तुत वाद में यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि श्रीमती माला देवी के पति का नाम उक्त बी0पी0एल0 सूची में अंकित है।

अभिलेख पर उपलब्ध तत्समय प्रभावी मार्गदर्शिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आँगनबाड़ी केन्द्र पर वर्ग बहुलता से अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाना है। प्रस्तुत मामलें में श्रीमती माला देवी वांछित वर्ग बहुलता से आती है साथ ही उनके पति का नाम बी0पी0एल0 सूची में अंकित रहा है। परंतु जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा गठित समिति द्वारा उक्त तथ्यों पर समुचित विचार किए बिना ही श्रीमती चिन्ता देवी के चयन का समर्थन किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज के प्रतिवेदन में उल्लेख तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पिछड़ा वर्ग-बाहुल्य था तथा श्रीमती माला देवी, पति-अरविन्द कुमार का नाम ग्राम-आलापुर के बी0पी0एल0 सूची में अंकित रहा है। वास्तव

में ग्राम-आलापुर को साफापुर पंचायत से अलग करते हुए सिपाहखास पंचायत में शामिल किए जाने से बी0पी0एल0 सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही श्रीमती माला देवी की अभ्यर्थिता ही प्रभावित हुई है।

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु नियमावली/मार्गदर्शिका के आलोक में श्रीमती माला देवी के विरूद्ध आपराधिक मामला में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित किए जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं पाया गया है।

(iii) अभिलेख पर उपलब्ध आम सभा पंजी (छायाप्रति) के अवलोकन में पाया गया है कि श्रीमती चिन्ता देवी द्वारा पूर्व में बी0पी0एल0 सूची के क्र0सं0-6515 अंकित रामधनी मांझी को अपने चचेरे ससुर के रूप में दर्शाया गया था, परंतु उक्त के संबंध में रामधनी मांझी द्वारा C.J.M. गोपालगंज के समक्ष Complaint case No. 1565/2004 दर्ज कराया गया। जिसके कारण बाद में चिन्ता देवी पति-ब्रज किशोर मांझी द्वारा उक्त बी0पी0एल0 सूची के क्रम सं0-6495 पर अंकित वैजनाथ मांझी को अपने चचेरे ससुर के रूप में अंकित किया गया, जिसके आधार पर उनका चयन किया गया है। परंतु श्री वैजनाथ मांझी की पत्नी श्रीमती चन्द्रावती देवी द्वारा समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष इस आशय का Complaint No. 144/08 दायर कराने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि चिन्ता देवी, पति-ब्रज किशोर मांझी से उनका दूर दराज तक कोई रिश्ता नहीं है। इस स्तर पर भी सुनवाई के क्रम में श्रीमती चन्द्रावती देवी, पति-वैजनाथ मांझी, ग्राम-आलापुर, जिला-गोपालगंज द्वारा लिखित रूप में चिन्ता देवी पति-ब्रज किशोर मांझी से किसी प्रकार का संबंध रहने से इन्कार किया गया है।

उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर पिछड़ी जाति की वर्ग बहुलता थी तथा तत्समय प्रभावी बी0पी0एल0 सूची में श्रीमती माला देवी, पति-अरविन्द कुमार का नाम अंकित था। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु माला देवी वांछित अर्हता (Qualification) को पूर्ण करने के कारण सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थी रही थी।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर D.P.O. (I.C.D.S.), गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद पर श्रीमती माला देवी, पति-अरविन्द कुमार के चयन हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध करा दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।